



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223927
CG-DL-E-24122020-223927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942

No. 657]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 790 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मानसिक रोग अस्पताल, रांची (वर्ग-III और वर्ग-IV के पदों पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता (कनिष्ठ) के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में कनिष्ठ मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, कनिष्ठ मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधीभर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक-कार्य में मास्टर डिग्री के साथ चिकित्सा और मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्य में विशेषज्ञता। अनुभव: किसी सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान से मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानसिक स्वास्थ्य में मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण और प्रबंधन तथा पुनर्वास के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी: (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. निदेशक, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष; 2. विशेषज्ञ श्रेणी-I के अधिकारी, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/51/2017-एमई]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2020

G.S.R. 790(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Hospital for Mental Diseases, Ranchi (Recruitment to class III and Class IV posts) Rules, 1959 in so far as it relates to the post of **Psychiatric Social Worker (Junior)** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to

the posts of **Junior Psychiatric Social Worker** in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, **Junior Psychiatric Social Worker** (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**- No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Psychiatric Social Worker.	1* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400/-).	Not applicable.	30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of

					Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential: Master Degree in Social Work from a recognised University or Institute with specialization in Medical and Psychiatric Social Work.</p> <p>Experience: One year experience in the field of Psychosocial Assessment and Management and Rehabilitation in Mental Health as Psychiatric Social Worker from a Government recognised hospitals or institutions.</p>	Not applicable.	Two years.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p>

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1 Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi. – Chairman;</p> <p>2. Officer of Specialist Grade-I, Central Institute of Psychiatry, Ranchi –Member;</p> <p>3. Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/51/2017-ME]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.